प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 26.02.2025

क्राईम ब्रॉन्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद, द्वारा अन्तर्राज्यीय चादर गैंग (घोडासहन) का 01 लाख का ईनामी/वाँछित अपराधी गिरफ्तार जिसके कब्जे से चोरी की इण्टरनेशनल ब्राण्डेड घडी बरामद

अवगत कराना है कि दिनांकः 10/11-08-2024 को थाना इन्दिरापुरम क्षेत्र में अज्ञात चोरों के गिरोह द्वारा साँई क्रिएशन शोरूम के शटर के आगे चादर लगाकर शोरूम का शटर उखाडकर विभिन्न इण्टरनेशनल ब्राण्डों की घडियों की चोरी की समसनीखेज घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना इन्दिरापुरम पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण हेतु स्वाट टीम क्राईम ब्रान्च गाजियाबाद, व थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम को लगाया गया था। जिसका सफल अनावरण करते हुए दिनाँक-29/08/2024 को चादर गैंग घोडासहन बिहार के मुख्य अभियुक्तों संतोष जायसवाल व रोहित पासवान को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 46 लाख 36 हजार रूपये की कीमत की विभिन्न कम्पनियों की इण्टरनेशनल ब्राण्डेड घडियाँ बरामद करने मे महत्तवपूर्ण सफलता हासिल की थी। इस गिरोह के अभी तक 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

दिनाँक-26/02/2025 को क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद, व थाना इन्दिरापुरम पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में उपरोक्त चादर गैंग के ईनामी / वाँछित 01 शातिर अभियुक्त राहुल कुमार पासवान को वसुंधरा रेड लाईट के पास थाना क्षेत्र इन्दिरापुरम से गिरफ्तार करने में महत्तवपूर्ण सफलता हासिल की गयी है गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से थाना इन्दिरापुरम क्षेत्र के साँई क्रिएशन शोरूम का शटर उखाडकर विभिन्न ब्राण्ड की घडियों की चोरी की घटना से सम्बन्धित चोरी की गयी इण्टरनेशनल ब्राण्ड की घडी बरामद हुई है जिसकी कीमत करीब 36 हजार रूपये है। अभियुक्त उपरोक्त की गिरफ्तारी पर पुलिस आयुक्त गाजियाबाद द्वारा दिनाँक-01/10/2024 को 01 लाख रू0 का नगद पुरूस्कार घोषित किया गया था।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर अभियुक्त राहुल कुमार पासवान ने बताया कि वह मूल रूप से घोडासहन बिहार का रहने वाला है तथा नवीं कक्षा तक पढा है पढाई छोडने के बाद घोडासहन मे ही ठेले पर मुर्गा मछली बेचने का काम करने लगा फिर यह काम छोडकर राजमिस्त्री का काम करने लगा। राजमिस्त्री के काम मे ज्यादा मेहनत करने पर भी ज्यादा फायदा नही होने के कारण वह अपराध मे लिप्त हो गया। घोडासहन में चोरो के कई गिरोह चलते है जो देश के विभिन्न राज्यों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते है। इसके पिता रामेश्वर व भाई रोहित ने भी पूर्व में पूरे देश में घूम-घूम कर इसी प्रकार की चोरियाँ की है। राहुल पासवान उसका भाई रोहित पासवान पहले नईम उस्ताद व विजय जो घोडासहन बिहार के थे के गैंग में चोरी का काम करते थे इनके द्वारा थाना नालासुपारा जिला थाणे महाराष्ट्र में चादर लगाकर मोबाइल के शोरूम का शटर उखाडकर चोरी की थी जिसमें इनके गैंग के 09 सदस्य गिरफ्तार हुए थे। जेल से छूटने के बाद दोनो भाईयों ने सचिन व सिराज के गैंग मे शामिल होकर चोरी की वारदात करना शुरू कर दिया। पूर्व में नईम उस्ताद के गैंग के साथ हिमाचल प्रदेश राज्य के मण्डी शहर में ज्वैलरी व लैपटॉप के शोरूम में चादर लगाकर शटर उखाडकर चोरी की थी जिसमें इनके गिरोह के 05 सदस्य गिरफ्तार हुए थे जिसमें भोला व अंगेश फरार हो गये थे। जेल से छूटने के बाद इन लोगो ने पुनः गैंग बनाया जिसमें घोडासहन के संतोष जायसवाल, रोहित पासवान, सिराज, जितेन्द्र उर्फ जीतन साहनी, रोशन, राकेश, दीपक शाह, बीपत दास व सीतामढी का जीतन पासवान व राजा तथा नेपाल के सचिन चौधरी, प्रमोद चौधरी व आसामी उर्फ संतोष शामिल हैं के साथ मिलकर देश के विभिन्न राज्यों में दुकानों व शोरूम के सामने चादर लगाकर चोरी की वारदात करने लगे।

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि हम लोगो का शोरूम के बाहर चादर लगाकर शटर उखाडकर चोरी करने का गिरोह है जो पूरे देश में घूम-घूम कर अलग-अलग राज्यों में चोरी की वारदात करते है। इनके गैंग में सचिन, प्रमोद व आसामी उर्फ संतोष नेपाल के रहने वाले है जो चोरी के बाद ज्यादातर चोरी का माल लेकर नेपाल चले जाते है। घोडासहन भी नेपाल बॉर्डर पर स्थित है चोरी के बाद सभी लोग ज्यादातर अपना घर छोडकर नेपाल मे रहते है और वही पर सारा माल बेचकर आपस में पैसे बाँट लेते है। जो सदस्य रैकी करता है और सबको लाकर चोरी होने तक उनका खर्चा उठाता है उसको ज्यादा हिस्सा मिलता है। घटना करने से पहले जिस शहर में घटना करनी होती है उसके आस-पास कमरा किराये पर लेते है और मजदूरी या पुताई आदि का काम करने

लगते है। धीरे-धीरे रैकी करके जब दुकान चिन्हित कर लेते हैं फिर अपने बाकी सदस्यों को बुला लेते है। घटना करने से पहले अपने मोबाइल कमरे पर ही रखकर जाते है । घटना स्थल से कुछ पहले ही सवारी छोड देते है और पैदल जाते है घटना स्थल पर पहुँचकर गैंग के कुछ सदस्य रास्ते पर आगे पीछे लग जाते है तथा कुछ सदस्य शटर के आगे चादर तान कर खडे हो जाते है और बाकी सदस्य अपने साथ लाये आला नकब से शटर उखाड देते है 2-3 लोग अन्दर घुसकर सारा सामान बैग मे डाल लेते है और फिर चोरी करके अलग-अलग होकर थोडी थोडी दूरी बनाकर काफी दूर तक पैदल जाते है फिर विपरीत दिशा की सवारी लेते है फिर आगे उतरकर पुनः सवारी बदलकर अपने किराये के कमरे पर जाकर माल का बटवारा करते है फिर अलग-अलग होकर घोडासहन व नेपाल चले जाते है। चोरी के दौरान कोड वर्ड मे बात करते है जो लोग दुकान का शटर तोडकर अन्दर जाते है उनको प्लेयर कहते है , दुकान के शटर के बाहर चादर लगाने को छप्पर लगाना कहते है तथा जो लोग बाहर सडक पर निगरानी करते है उनको फील्डर कहते है।

अभियुक्त काफी शातिर किस्म का आदतन अपराधी हैं जो पूरे देश में घूम-घूम कर चोरी की वारदात करता है और घटना को अंजाम देने के बाद पकडे ना जाये नेपाल भाग जाता है। अभियुक्त से मिली जानकारी के आधार पर अन्य फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु टीमें बनाकर कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1.राहुल कुमार पासवान पुत्र रामेश्वर पासवान निवासी वार्ड न0-01 बीरता चौक के पास कस्बा व थाना घोडासहन जिला मोतिहारी पूर्वी चम्पारण बिहार

बरामदगी का विवरण-

1. CITIZEN ब्राण्ड की 01 घडी कीमत करीब 36,000 रू0 है।

आपराधिक इतिहासः-

1.अभियुक्त राहुल कुमार पासवान के विरूद्ध हिमाचल प्रदेश मे 02 व गाजियाबाद में 01 कुल 03 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम-

1.क्राइम ब्रान्च पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद

2.थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम

थाना लोनी पुलिस द्वारा वाहन चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से फर्जी नम्बर प्लेट लगी चोरी की मोटरसाइकिल बरामद ।

दिनांक 25.02.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान वाहन चोर अभियुक्त अफसार पुत्र दिलशाद उर्फ इरशाद निवासी गली न0 3 निकट जगमाल की समाधि प्रेम नगर लोनी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष को एक चोरी की मोटरसाइकिल (जिस पर फर्जी नं0 प्लेट DL5SCV-1071 लगी जिसका असली रजि0 न0 DL5SBB-7607 है) सहित चौकी क्षेत्र कस्बा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त का एक साथी मौके से अधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया जिसकी गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही है। उक्त चोरी का वाहन बरामदगी के संबंध में थाना लोनी पर मु0अ0सं0-116/25 धारा-317(2)/317(5)/345(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया है, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि यह मोटरसाइकिल मैंने व मेरे साथी राजा ने करीब 2-3 महीने पहले इंदरापुरी लोनी बॉर्डर से चोरी की थी । इस मोटरसाइकिल पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर हम दोनों स्नैचिंग व छीना झपटी करने के इरादे से निकले थे कि चेकिंग में आपने मुझे पकड लिया व मेरा साथी राजा मौके से फरार हो गया

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

अफसार पुत्र दिलशाद उर्फ इरशाद निवासी गली न0 3 निकट जगमाल की समाधि प्रेम नगर लोनी थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र 25 वर्ष

बरामदगी का विवरण

चोरी की एक मोटरसाइकिल स्पे0 मय फर्जी नं0 प्लेट लगी रजि0 न0 DL5SCV-1071 बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

उक्त मोटरसाइकिल के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है तथा चोरी का वाहन बरामदगी के संबंध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा पूर्व में पंजीकृत अभियोग में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 16.01.2025 को वादी द्वारा थाना लोनी बॉर्डर पर तहरीर दी गई कि अभियुक्त चॉदु द्वारा प्रार्थी के पुत्र का हाथ पकड़ना तथा मुँह में कपडा देकर धक्का मारकर नीचे फर्श पर गिरा देना एवं क्लिनिक मालिक दीपक ने अपने ही क्लिनिक में वादी के पुत्र के साथ अप्राकृतिक सम्बन्ध बनाने तथा वीडियो बनाने एवं परिवारीजन को बताने या पुलिस में शिकायत करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल धारा 61(2)/65(1)/351(2) बीएनएस व ¾ पॉक्सो एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्पश्चात दिनांक 18.01.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा अभियुक्त दीपक कश्यप पुत्र देवेन्द्र कश्यप नि0 ए ब्लॉक लक्ष्मी गार्डन इन्द्रापुरी थाना लोनी बॉर्डर गा0बाद उम्र 26 वर्ष को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा उपरोक्त अभियोग में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान धारा-16/17 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गई।

दिनांक 25.02.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त .चांद मौहम्मद उर्फ चाँदु पुत्र इकबाल निवासी प्रकाश मॉडल स्कूल वाली गली , लक्ष्मी गार्डन इन्द्रापुरी थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष को चौकी क्षेत्र संगम विहार लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि उस दिन वादी का पुत्र, दीपक के क्लिनिक पर मशीन लेने आया हुआ था और मैं भी वहाँ पर मौजूद था, दीपक ने उसके साथ गलत काम किया था और मैंने उसका साथ दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता –

चांद मौहम्मद उर्फ चाँदु पुत्र इकबाल नि0 प्रकाश मॉडल स्कूल वाली गली, लक्ष्मी गार्डन इन्द्रापुरी थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 22 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

सहायक पुलिस आयुक्त, इंदिरापुरम व थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा सर्च एवं रेस्क्यू अभियान के दौरान सै0 4 वैशाली स्थित मकान में चल रहे अनैतिक देह व्यापार में 03 पीड़ित महिलाओं को रेस्कयू किया गया तथा अनैतिक देह व्यापार में सम्मलित 01 अभियुक्ता (संचालिका/मैंनेजर) गिरफ्तार, कब्जे से आपत्तिजनक सामग्री बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 25.02.2025 को सहायक पुलिस आयुक्त, इंदिरापुरम व थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा सर्च एवं रेस्क्यू अभियान के दौरान मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई कि प्लाट न0 9 अटलांटिक प्लाजा सै0 04 वैशाली स्थित मकान में अनैतिक देह व्यापार का कारोबार किया जा रहा है। जिसमें भोली-भाली गरीब महिलाओं को बहला फुसलाकर देह व्यापार कराया जा रहा है। जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए सहायक पुलिस आयुक्त, इंदिरापुरम व थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा सै0 04 वैशाली स्थित मकान में चल रहे अनैतिक देह व्यापार में 03 पीड़ित महिलाओं को रेस्कयू किया गया तथा अनैतिक देह व्यापार में सम्मलित 01 अभियुक्ता (संचालिका/मैंनेजर) को आपत्तिजनक सामग्री सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्ता(संचालिक/मैंनेजर) के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 3/4/6 अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुछताछ का विवरणः-गिरफ्तार महिला अभियुक्ता उपरोक्त व पीड़ित महिलाओं से पूछताछ की गयी तो यह तथ्य प्रकाश में आये कि महिला संचालिक द्वारा अनैतिक कमाई करने के लालच से रैस्क्यू महिलाओं से अनैतिक देह व्यापार कराकर ग्राहकों से पैसे लिये जाते है, संचालिका द्वारा महिलाओं को काम दिलाने व पैसों का लालच देकर बहला फुसलाकर प्रतिदिन अनैतिक देह व्यापार कराया जा रहा था। इस कार्य को करने में ग्राहकों से भारी धनराशि लेकर कुछ रुपये महिलाओं को भरण पोषण हेतु दिया जाता था।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पताः-

- 01 अभियुक्ता (संचालिका/मैंनेजर)

बरामदगी का विवरणः-

- आपत्तिजनक सामग्री।

गिरफ्तार अभियुक्ता का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्ता (संचालिका/मैंनेजर) उपरोक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

सहायक पुलिस आयुक्त, इंदिरापुरम व थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।